फर्द अहकाम

[नियम 26]

उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

रामफूल .... बनाम ....

ना .... नं० .... सन् ....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14/12/2 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 8/3/23 को पेश हो। रीडर	
	8-3-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2-5-23 को पेश हो। रीडर	
	2-5-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 21-7-23 को पेश हो। रीडर	
	21.7.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 18-9-23 को पेश हो। रीडर	
	18-9-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते .... दिनांक 29-11-23 को पेश हो।	
	29-11-23 पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी दिनांक 7-2-24 लगाई जाती है। रीडर	
	7/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 4/4/24 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	[illegible]
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 15-5-24 को पेश हो।
	रीडर
	15·5·24
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2-7-24 को पेश हो।
	02/07/24
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25/09/24 को पेश हो।
	25·9·24
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 18-12-24 को पेश हो।
	18/12/24
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25/2/25 को पेश हो।
	रीडर
	25·2·25
Aman Soni	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण की तलबी / जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 20-3-25 को पेश होवे।
	उपखण्ड अधिकारी अलवर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

20.3.25
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 13-5-25
को पेश हो।

रीडर

13.5.25
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 15.7.25
को पेश हो।

रीडर

15/7/25
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 23-9-25
को पेश हो।

रीडर

23.9.25
पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
बहस सुनी, और पत्रावली वास्ते
आदेश दि० 16-10-25 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

दे० 7 गवाह S.O.S. नं० (प्रार्थी
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
की ओर से उपस्थित।
No obestion.

16.10.25
पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अनुपस्थित
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय
की प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर
को भिजवाई जाकर बाद तकमील
पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
22/402	अपील	14.12.2023	16.10.2025

उनवान

1–रामफूल मीना पुत्र श्री गिरधारी मीना जाति मीना निवासी बी–232 श्रीराम कोलोनी अलवर तहसील व जिला अलवर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत भूगोर पंचायत समिति उमरैण अलवर
2–बाबूलाल पुत्र गिर्राज मीना निवासी श्रीराम कोलोनी कटी घाटी के पास रूपबास अलवर
3–पूरण पुत्र गिर्राज मीना निवासी श्रीराम कोलोनी कटी घाटी के पास रूपबास अलवर
4–भगवान सहाय पुत्र गिर्राज मीना निवासी श्रीराम कोलोनी कटी घाटी के पास रूपबास अलवर
5–त्रिलोक पुत्र मु. ब्रहमा पुत्री बद्री प्रसाद निवासी 687 शिव सदन अमन विहार कोलोनी दौसा
6–प्रदीप पुत्र मु. ब्रहमा पुत्री बद्री प्रसाद निवासी 687 शिव सदन अमन विहार कोलोनी दौसा
7–मु.भगोती पुत्री गिरधारी स्त्री सोहन लाल मीना निवासी खेडला तहसील मालाखेडा जिला अलवर
8–मु.लक्ष्मी पुत्री गिरधारी स्त्री प्रभाती लाल मीना निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर
9–रामप्रताप पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी बी–232 श्रीराम रेस्पाडेन्ट कोलोनी कटी घाटी के पास अलवर
10–टिंकेश पुत्र किशनप्यारी पुत्र उमराव मीना सा0 बगड राजपूत तहसील रामगढ

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 608 आदेश दिनॉक 25–05–2007 वाके ग्राम भूगोर, ग्राम पंचायत भूगोर, पंचायत समिति उमरैण तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि सक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि श्री गिरधारी पुत्र रामकुंवार जाति मीना साकिन रूपबास तहसील अलवर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी किता 5 रकबा 2.40 है. वाके ग्राम भूगोर में स्थित है श्री गिरधारी का स्वर्गवास होने पर विरासत इंतकाल पटवारी हल्का ने सभी वारिसान के नाम दर्ज किया किन्तु अपीलांट रामफूल के स्थान पर फूल सिंह

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

नाम दर्ज कर लिया तथा पटवारी हल्का की रिर्पोट के आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक ने मिलान कर ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा बिना जांच किये एवं बिना सुनवाई किये दिनांक 25-7-07 को तस्दीक कर दिया जिस इंतकाल में पटवारी हल्का ने सजरा में फूलसिंह का नाम बिना जांच किये दज कर दिया अपीलांट को अब ऋण लेने के लिए कागजात माल की नकल ली तो कागजात माल में अपीलांट का नाम फूलसिंह दर्ज होने से बैंक ने ऋण देने से इंकार कर दिया तो अपीलांट को गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 28-7-2022 को हुई अपीलांट कम पढा लिखा मजदूर पेशा व्यक्ति है इस गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी होने पर पटवारी हल्का के पास सही कराने को गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि इंतकाल में नाम गलत दर्ज है अपील करने पर ही संशोधन हो सकेगा तथा इस बाबत कानूनी राय भी ली गई तो अपील करने की सलाह मिलने पर जानकारी से अपील बिला देरी निम्न आधारो पर पेश की जा रही है।

इंतकाल नंबर 608 वाके ग्राम भूगोर ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपील सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार है। इसगलत नाम दर्ज होने की अपीलांट को वक्त तस्दीक इंतकाल जानकारी नहीं हो सकी अपीलांट कम पढ़ा लिखा मजदूर पेशा व्यक्ति ह अब अपीलांट को ऋण लेने की आवश्यकता होने पर बैंक में गया तो उन्होने बताया कि कागजात माल में फूल सिंह नाम दर्ज है रामफूल नहीं है इसलिये ऋण नहीं मिल सकता। दिनांक 28-7-2022 को इस बाबत जानकारी हुई इसके बाद पटवारी हल्का के पास नाम सही कराने को गया तो उसने अपील करने को कहा तो जानकारी दिनांक 28-7-2022 से अंदर अवधी अपील पेश है। देरी को कन्डोन करने का अलग से प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश किया जा रहा है। अपील हाजा के साथ इंतकाल नंबर 608 ग्राम भूगोर की सत्य प्रतिलिपी पेश है कि पटवारी हल्का ने सजरा बनाते समय अपीलांट को नही बुलाया ओर ना अपीलांट के नाम के बारे में कोई जांच की गई, मृतक गिरधारी के फूल सिंह नाम का कोई वारिस या पुत्र नही था और ना है अपीलांट के नाम रामफुल के स्थान फूल सिंह दर्ज कर दिया जिस गलत नाम के इन्द्राज रहने से अपीलांट के हक हकूको व खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है।

अपीलांट का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग व अन्य सभी दस्तावेज में रामफूल पुत्र गिरधारी मीना दर्ज है।

अतः अपीलांट अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नंबर 608 वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर में अपीलांट का नाम फूल सिंह के स्थान पर रामफूल दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार अलवर को रिमाण्ड किया जावे व निर्देशित किया जावे वे अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 10 की ओर से श्री प्रेम कुमार वर्मा विद्वान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया उनके द्वारा प्रकरण मे जबाव पेश नही करते हुये न्यायालय आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुये प्रतिवादीयान की ओर से अनापत्ति अर्थात अपीलार्थी के कथनो मे सहमति व्यक्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वकुलाय की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट की अपील के बावत वकील रेस्पोडेन्टान ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडटान को कोई आपत्ति नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया बहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा बहस पर सम्यक् विचार किया गया है।

प्रथम दृष्टया, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम भूगोर, ग्राम पंचायत भूगोर, तहसील अलवर जिला अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 608 दर्ज दिनांक 25.05.2007 स्वीकृत दिनांक 25.05.2007, को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रकरण को तहसीलदार अलवर को निम्न निर्देशों सहित पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान कर, विधिक साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा तत्पश्चात नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित की जाए।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 16 –10–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर